ernment of India and the same will be laid on the Table of the Sabha.

231. [*Transferred to the 21st August,* 1972.

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू किया जाना

232. **श्री नवल किशोर क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर मे परिवीक्षा सेवाओ समरूपता लाने की दृष्टि से, एक केन्द्रीय अधिनियम, अर्थात् अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 पहले से ही 13 राज्यो तथा 6 सघ राज्य क्षेत्रो मे लागू कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक अपने राज्य मे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 को लागू नही किया है; और अपने परिवीक्षा अधिकारियो को फालतू घोषित कर दिया है, और

(ग) यदि हा, तो उसके क्या कारण है; और अधिनियम को उत्तर प्रदेश राज्य मे लागू कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†[APPLICATION OF PROBATION OF OFFENDERS ACT, 1958

*232. SHRI NAWAL KISHORE: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that with a view to bring uniformity in the probation services throughout the country, a Central Act *viz.* Probation of Offenders Act, 1958 has already been made applicable to 13 States and 6 union territories;

(b) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have not so far made applicable the Probation of Offenders' Act, 1958 in their State; and have declared their probation officers surplus; and

(c) if so, the reasons therefor, and the steps being taken by Government to make the Act applicable to the State of Uttar Pradesh ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एक व्यापक केन्द्रीय अधिनियम के रूप मे बनाया गया था जो देश भर मे अपनाए जाने हेतु उपलब्द है।

(ख) तथा (ग) जी, हा। उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी (परिवीक्षा) अधिनियम, 1938 उत्तर प्रदेश मे लागू है। खर्च मे किफायत करने के लिए कुछ परिवीक्षा अधिकारियो को 1967 मे फालतू घोषित कर दिया गया था।

केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को उस राज्य मे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 को अपनाने के लिये मना रही है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. S. RAMASWAMY): (a) The Probation of Offenders Act, 1958 was enacted as a comprehensive Central Act available for adoption throughout the country.

(b) and (c): Yes, Sir. The Uttar Pradesh First Offenders (Probation) Act, 1938 is enforced in Uttar Pradesh. On grounds of economy some probation officers were declared surplus in 1967.

The Central Government is persuading the Government of Uttar Pradesh to adopt the Probation of Offenders Act, 1958, in that State.]

PRODUCTION OF CEREALS

*233. SHRI YOGENDRA SHARMA: DR. Z. A. AHMAD·

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the U.S.A. Congressional investigators have said that India will not reach self sufficiency in food production on

†[ ] English translation.